समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक ..616.../गो0
सम्प

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, नोडल पदाधिकारी
मीडिया-सह-विडियोग्राफी कोषांग,
कोशी शिक्षक निर्वाचन, 2017
श्री सुनील कुमार,
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक....8/3/.......2017

विषय : **बिहार विधान परिषद् के कोशी शिक्षक निर्वाचन, 2017 के निमित्त सभी मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी करने हेतु विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति मीडिया /विडियोग्राफी कोषांग द्वारा नहीं करने के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंग : उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक 179/निर्वा0 दिनांक 08-03-2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न है। बिहार विधान परिषद् के कोशी शिक्षक निर्वाचन, 2017 के निमित्त मीडिया /विडियोग्राफी कोषांग का गठन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान के दिन दिनांक 09-03-2017 को सभी मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी कर उसी दिन सी0डी0 जिला निर्वाचन कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया था, परन्तु दिनांक 08-03-2017 की संध्या तक यथानिदेशित विडियोग्राफर की व्यवस्था नहीं की गयी और न उक्त आशय की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को दी गयी। इस प्रकार निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण /संवेदनशील कार्यो की उपेक्षा मीडिया-सह-विडियोग्राफी कोषांग द्वारा की गयी है।

निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करें कि आदेश ज्ञापांक 123/निर्वा0 दिनांक 23-02-2017 द्वारा दिये गये आदेश की अवज्ञा किस परिस्थिति में की गयी है तथा इसके लिए कौन दोषी है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/3/17

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
पत्रांक 179 /निर्वा0

प्रेषक,

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
–सह–
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 08/03/2017

विषय :– **बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक निर्वाचन 2017 के निमित सभी मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी करने हेतु विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति मिडिया /विडियोग्राफी कोषांग द्वारा नहीं कराने के संबंध में।**

प्रसंग : भवदीय आदेश ज्ञापांक 123/निर्वा0 दिनांक 23.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश ज्ञापांक 123/निर्वा0 दिनांक 23.02.2017 द्वारा बिहार विधान परिषद के कोशी शिक्षक निर्वाचन –2017 के निमित मिडिया/ विडियोग्राफी कोषांग का गठन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान के दिन 09.03.2017 को सभी मतदान केन्द्रों पर विडियोग्राफी कर उसी दिन सी0डी0 जिला निर्वाचन कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया है।

उक्त हेतु मिडिया –सह– विडियोग्राफी कोषांग का गठन किया गया था जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कृष्ण मोहन प्रसाद एवं श्री सुनील कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बनाये गये थे। उक्त कोषांग द्वारा आयोग के निदेशानुसार आज दिनांक 08.03.2017 के संध्या तक विडियोग्राफर की व्यवस्था नहीं कि गई और न ही इसकी सूचना निर्वाचन कार्यालय को दी गई। जिससे काफी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। आनन–फानन में किसी तरह निर्वाचन कार्यालय से इसकी व्यवस्था की जा रही है।

भवदीय को सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
मधेपुरा।